रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250908
CG-DL-E-26122023-250908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2023/पौष 5, 1945
No. 858] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSHA 5, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

सं.-एल-1/236/2018/सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61 के साथ पठित धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (ध) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षित नाम तथा आरंभ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 है।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के परिशिष्ट-II "किसी मास के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की संगणना करने की प्रक्रिया" के अधीन खंड (4) का संशोधन:

2.1 मूल विनियमों के परिशिष्ट-II के अधीन खंड (4) के उप-खंड (ii) के बाद नया उप-खंड (iii) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(iii) एनएचएआई, रेलवे, और सीमा सड़क संगठन की परियोजना (परियोजनाओं) के कारण ऐसी पारेषण लाइन की शिफ्टिंग या आशोधन या अन्यथा के कारण पारेषण लाइन का शट डाउन। सदस्य सचिव, आरपीसी शामिल कार्य के लिए उनके द्वारा युक्तियुक्त समझे जाने वाली अवधि तक डीम्ड उपलब्धता अवधि को सीमित कर सकते हैं;

परंतु यह कि ऐसी पारेषण लाइन के शटडाउन से डीआईसी प्रभावित नहीं हैं।"

3. मूल विनियमों के परिशिष्ट-II "किसी मास के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की संगणना करने की प्रक्रिया" के अधीन खंड (5) का संशोधन:

3.1 मूल विनियमों के परिशिष्ट-II के अधीन खंड (5) के उप-खंड (ii) के परंतुक को हटाया जाएगा।

3.2 मूल विनियमों के परिशिष्ट-II के अधीन खंड (5) के उप-खंड (ii) के बाद नया उप-खंड (iii) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(iii) आउटेज अवधि, जिसे इस खंड के उप-खंडों (i) और (ii) के उद्देश्य हेतु शामिल नहीं किया जाएगा, को निम्नानुसार घोषित किया जाएगा:

क) सदस्य सचिव, आरपीसी द्वारा अधिकतम एक मास तक

ख) एक मास के बाद से तीन मास तक आरपीसी में निर्णय के बाद

ग) तीन मास के बाद आयोग द्वारा जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कारणों, आउटेज और पुनःस्थापना समय सीमा को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ आयोग को संपर्क करेगा।

हरप्रीत सिंह पुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./641/2023-24]

नोट : (1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 दिनांक 3 मई, 2019 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III-खंड 4, सं.144 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 (प्रथम संशोधन) दिनांक 3 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III-खंड 4, सं.53 में प्रकाशित हुए थे।

(3) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III-खंड 4, सं.394 में प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2023

No. L-1/236/2018/CERC.—In exercise of powers conferred under clause (s) of subsection (2) of section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Section 61 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

1. Short Title and Commencement: (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Third Amendment) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall come into force from the date of publication of these Regulations in the official Gazette.

2. Amendment to Clause (4) under Appendix-II "Procedure for Calculation of Transmission System Availability Factor for a Month" of the Principal Regulations:

2.1 New sub-clause (iii) shall be added after sub-clause (ii) of Clause (4) under Appendix-II of the Principal Regulations as under:

"(iii) Shut down of a transmission line due to shifting or modification of such transmission line or otherwise because of the Project(s) of NHAI, Railways, and Border Road Organisation. Member Secretary, RPC may restrict the deemed availability period to that considered reasonable by him for the work involved;

Provided that DICs are not affected by the shutdown of such a transmission Line;"

3. Amendment to Clause (5) under Appendix-II "Procedure for Calculation of Transmission System Availability Factor for a Month" of the Principal Regulations:

3.1 Provisos to sub-clause (ii) to Clause (5) under Appendix-II of the Principal Regulations shall be deleted.

3.2 New sub-clause (iii) shall be added after sub-clause (ii) of Clause (5) under Appendix-II of the Principal Regulations as under:

"(iii) The outage period which can be excluded for the purpose of sub-clauses (i) and (ii) of this clause shall be declared as under:

a) Maximum up to one month by Member Secretary, RPC

b) Beyond one month and up to three months after a decision at RPC

c) Beyond three months by the Commission for which the transmission licensee shall approach the Commission along with reasons, steps taken to mitigate the outage and restoration timeline."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./641/2023-24]

Note : (1) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 were published in Part III- Section 4, No.144 of the Gazette of India (Extraordinary) dated May 3, 2019.

(2) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2020 were published in Part III- Section 4, No.53 of the Gazette of India (Extraordinary) dated Feb 3, 2021.

(3) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2021 were published in Part III- Section 4, No.394 of the Gazette of India (Extraordinary) dated September 13, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.26 20:59:10 +05'30'